संख्या- 75/2017/646/22-4-17-48(21)/16

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक- 10 नवम्बर, 2017**

विषय- जिला कारागार, सीतापुर में कृषि कार्य के लिए क्रय किये गये ट्रैक्टर हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18821/कृषि-(2)/115/2010, दिनांक-06.06.2017 एवं पत्र संख्या-23384/कृषि-(2)/115/2010, दिनांक-08.08.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-190/2016/1572/22-4-16-48(21)/16, दिनांक 19.12.2016 द्वारा जिला कारागार, सीतापुर के कृषि फार्म में सब्जियां उगाये जाने हेतु निष्प्रयोज्य ट्रैक्टर के प्रतिस्थापन स्वरूप 01 नग ट्रैक्टर (टैफे 380, 42 एच0पी0 मय आल एसेसरीज) क्रय किये जाने हेतु रू0 5,42,997/- की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, सीतापुर के कृषि कार्यों के निष्पादन हेतु यू0पी0 एग्रो के माध्यम से क्रय किये गये ट्रैक्टर (टैफे 380, 42 एच0पी0 मय आल एसेसरीज) का मूल्य रू0 5,49,288/-(रूपया पॉच लाख उन्चास हजार दो सौ अट्ठासी मात्र) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए हुए उक्त ट्रैक्टर क्रय हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 5,42,997/- को घटाते हुए लम्बित देय धनराशि रू0 6,291/-(रूपया छः हजार दो सौ इक्यानवे मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रस्ताव में अंकित ट्रैक्टर का क्रय, भण्डार क्रय नियमों एवं संगत नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी औपचारिक्ताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा और इसका दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(2) निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 21.06.2010 द्वारा प्रतिनिधानित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे यथासमय समर्पित कर दी जायेगी।

4- उक्त ट्रैक्टर क्रय हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 19.12.16 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-**75**/2017/646(1)/22-4-2017-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in